वित्तीय समावेशन तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य*

उषा थोरात

सबसे पहले मैं योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मानव विकास तथा राज्य वित्त पर आधारित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का केंद्रीय तत्व सभी रूपों में गरीबी को कम करना है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मानव विकास संकेतकों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित संकेतकों पर बल देते हैं ताकि एक सम्मानजनक जीवन जीने में लोगों की सहायता की जा सके। आर्थिक एवं सामाजिक पूंजी में निवेश बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपायों के जरिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने में राज्य की भूमिका प्रमुख है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के ढेर सारे उद्देश्यों को सुदृढ़ करने में वित्तीय प्रणाली अपनी भूमिका निभा सकती है जिसमें एक कारगर भुगतान प्रणाली प्रदान करने के अलावा बचत, आजीविका तथा आर्थिक आधारभूत संरचना शामिल है। मानव विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुशलता तथा पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में स्थानीय भागीदारी को तीव्र करने में सामुदायिकता आधारित संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है। इस प्रकार राज्य सरकारों, औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा सामुदायिकता आधारित संगठनों को सामाजिक परिवर्तन हासिल करने के तीन स्तंभ माना जा सकता है। ये तीनों स्तभं अपना विशिष्ट लेकिन एक दूसरे की भूमिकाओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं, जिसका बहुत सशक्त परिणाम होता है।

वित्तीय समावेशन से हमारा तात्पर्य उन लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से भुगतान एवं प्रेषण सुविधाओं, बचत एवं बीमा सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करने से है जो इनसे वंचित रहे हैं। भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली के विकास के नीतिगत ढांचे में इस तथ्य की पहचान करना महत्वपूर्ण है कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वित्तीय समावेशन तथा इससे वंचित आबादी को इसमें अधिक से अधिक शामिल करने की आवश्यकता पर हमेशा सचेत होकर जोर दिया जाता रहा है। अब जो सच्चाई सतह पर आई है वह यह है कि दशकों से इस प्रकार जोर दिए जाने के बावजूद हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है। साथ ही, गैर सरकारी संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बैंकों के साथ उनके जुड़ाव से वित्तीय समावेशन में बहुत अधिक सहयोग मिला है। ये समूह खास तौर पर महिलाओं के समूह हैं और वसूली की दरें बहुत अधिक हैं। इन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं है फिर भी, इनका विस्तार और इनकी पहुंच बढ़ती जा रही है। इनकी व्याप्ति सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की व्याप्ति से कई गुना अधिक है। हालांकि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत समूहों को सचेततापूर्वक बढ़ावा दिया गया है फिर भी, उनकी वसूली स्वयंसेवी आंदोलन के 90 प्रतिशत से अधिक के मुकाबले केवल 50 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत समूहों को सिर्फ इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि वे आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकें। इसलिए यह आवश्यक है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने में इस क्षेत्र तथा बैंकों के बीच संबंध स्थापित करते समय गैर सरकारी संगठन/स्वयं-सहायता समूह आंदोलन की ताकत समाप्त न हो। अधिकतर राज्यों द्वारा सामना की जा रही संपूर्ण राजकोषीय समस्या के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा समुदाय आधारित संगठनों के बीच संबंधों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है ताकि सहस्राब्दी विकास के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

मैं यहां दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगी जिन्हें मैंने हाल ही में अपनी आंखों से देखा है और ये घटनाएं आपके लिए भी रोचक तथा प्रासंगिक हो सकती हैं। पहली घटना महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों से संबंधित है जिनसे मैं हाल ही में अजमेर में मिलकर आई हूं। गैर सरकारी संगठन ने इन समूहों को प्रेरित किया है जिनमें गरीब मुसलमान औरतें हैं और उन्हें पास के दरगाह के लिए क्रोशिए से बुनी टोपियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये समूह दूरदराज के स्थानों को भी ये टोपियां तथा अन्य चीजें भेज रहे हैं। शुरू-शुरु में इन महिलाओं को उनके पुरुष समाज ने न तो कभी गंभीरता से लिया था और न ही उन लोगों ने इन महिलाओं की कोई सहायता ही की थी, लेकिन वर्ष दर वर्ष सूखे से प्रभावित होते रहने के बाद जब उनको लगा कि इन महिलाओं की पूरक आय के कारण उनके परिवार भुखमरी से बचे रहे तब जाकर स्वयं सहायता समूहों पर लोगों का भरोसा कायम हुआ और उसे पुरुष समाज का भी

* श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, यूएनडीपी और योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से सीएबी, पुणे में 16 जनवरी 2006 को आयोजित मानव विकास और राज्य वित्त पर चौथे कार्यक्रम में दिया गया भाषण।

समर्थन प्राप्त हो गया। इन समूहों की नेता इतनी सक्षम हो गई हैं कि वे धागे लेने तथा अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए अजमेर तथा जयपुर भी जाती हैं। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में महिलाएं बहुत सक्रियता के साथ अपने बच्चों, खास तौर से लड़कियों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए उत्साहित कर रही हैं और उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में भी सक्रिय रुचि दिखाई है। अब वे यह सीखना चाहती हैं कि कंप्यूटर पर अपना लेखा-जोखा कैसे रखा जाता है। उनमें स्वच्छता के मुद्दों तथा स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति बहुत जागरूकता आई है। ये महिलाएं कला-कौशल उत्पादन से जुड़े अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए कच्छ तक का सफर करने के लिए भी तैयार हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों तथा नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

दूसरा उदाहरण कोल्हापुर के निकट तीन गावों के एक दौरे का है जहां जिला परिषद ग्राम पंचायत तथा बैंकों की सक्रिय भागीदारी से शौचालयों का निर्माण कर रहा है जिसके अंतर्गत किसी शौचालय का संपूर्ण व्यय बहुत ही सरल प्रक्रिया से वैयक्तिक परिवारों को दिए गए बैंक ऋणों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। ये ऋण परिवार के नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं, जिनकी चुकौती चार वर्षों में की जानी है। ये शौचालय सरलतम सोख्ता प्रकार से लेकर उन्नत प्रकार तक के हैं जो बायो गैस इकाइयों से जुड़े होते हैं। सेप्टिक टैंकों तथा सामग्री की व्यवस्था थोक आधार पर की गई है और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित राजगीर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें श्रम स्वयं ग्रामीण कर रहे हैं ताकि लागत एवं उसके परिणामस्वरूप ऋण की राशि को कम रखा जा सके। इसके लिए वित्तपोषण में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। इस गांव से लौटते हुए हम एक दूसरे गांव से होकर गुजर रहे थे। अंधेरा हो गया था और तभी हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी में हमने सड़क के दोनों तरफ औरतों को जल्दी-जल्दी उठकर संभलते हुए देखा। इस दृश्य ने मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अर्थ को बड़ी शिद्दत से स्पष्ट कर दिया था।

इन उदाहरणों से उस प्रगति की तस्वीर सामने आती है जिसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में हासिल किया जा सकता है, जहां स्थानीय नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता तथा वित्तीय क्षेत्र की संबद्धता है और सरकार की उसमें एक सहयोगी भूमिका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों उदाहरणों में न तो कोई आर्थिक सहायता दी गई है और न ही कोई बजटीय समर्थन । सवाल यह है कि क्या इन उदाहरणों की अनुकृति की जा सकती है और क्या हम अभीष्ट स्तर हासिल कर सकते हैं ? इसका उत्तर हां है बशर्ते कि राज्य सरकार, औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा सामुदायिकता आधारित संगठन जैसे तीनों स्तंभ मिलजुलकर काम करें। गांवों को सड़कों से जोड़े बगैर औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अतः ग्रामीण सड़कों तथा गांवों को एक दूसरे से जोड़ने पर समुचित रूप से बल देना लाजिमी है। राज्य की निधि लगाने के लिए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी।

भारत में स्वयं-सहायता समूह आंदोलन ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन को सशक्त किया है। स्वयं-सहायता समूह - बैंक के आपसी संबंध का आंदोलन जहां स्वयं-सहायता समूह बैंकों के साथ प्रारंभ में बचत तथा बाद में ऋण उत्पादों के माध्यम से जुड़े हैं, एक निश्चित सीमा तक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने में कामयाब हुआ है। तथापि, उनकी ऋण ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े भारी संख्या में स्वयं-सहायता समूह ऋण का उपयोग केवल उपभोग प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं। उन्हें रोजगार पैदा करने वाली गतिविधियों के क्षेत्र में कदम रखना होगा ताकि वे आर्थिक आजादी के फायदे पूरी तरह उठा सकें। तब भी, स्वयं-सहायता समूहों तथा कई मामलों में स्वयं-सहायता समूहों के महासंघों ने सामाजिक पूंजी तथा सशक्तीकरण का सृजन करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ स्वयं-सहायता समूहों ने गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारों के साथ मिलकर गांवों में पेयजल लाने, नियमित स्वास्थ्य शिविर चलाने, प्रौढ़ साक्षरता शिविर आयोजित करने और आम तौर पर सदस्यों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में सक्रिय स्वयं-सहायता समूह महासंघ आंतरिक रूप से नियंत्रित एक योजना के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। केरल में सरकार द्वारा स्थापित कुटुंबश्री मॉडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं आ जाती हैं जिसमें स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। महिलाओं की विश्व बैंकिंग मित्र (एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी) ने समष्टि वित्त एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों तथा बीमा कंपनियों के साथ मिलकर एक सामाजिक सुरक्षा परियोजना चालू की है ताकि लाखों लोगों को जीवन बीमा तथा पशुधन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा जैसे गैर जीवन बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। झोपड़ी बीमा, आहार सुरक्षा, पेंशन योजना आदि जैसे अन्य नवोन्मेषी उत्पादों की भी शुरूआत की गई है। चूंकि स्वयं सहायता समूह महासंघ/गैर सरकारी संगठन अथवा समष्टि वित्त संस्थाएं भारी संख्या में परिवारों को एक मार्ग देते हैं तथा बीमाकरण तथा दावों के निपटान में प्रशासनिक लागत वहन करती हैं इसलिए इस प्रकार की योजनाएं प्रीमियम को न्यूनतम रख सकी हैं । उड़ीसा में एक ऐसे गैर सरकारी संगठन के बारे में पता चला है जो भीषण गरीबी में रह रही असहाय महिलाओं के बीच काम कर रहा है। उसके हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इन महिलाओं की एक संगठित आवाज उभरी है जिसके चलते उन्हें आवश्यक प्रमाणपत्र मिल रहे हैं और फिर उनके आधार पर उन्हें सुविधाएं तथा आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए बैंक का वित्त भी मिल रहा है।

स्वयं-सहायता समूह तथा बैंक के गठजोड़ के अलावा सोसायटियों, को-ऑपरेटिव, ट्रस्टों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिनमें धारा 25 की कंपनियां भी शामिल हैं, के रूप में स्थापित समष्टि वित्तीय संगठनों

की भागीदारी में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली भी अत्यंत उत्साहवर्धक रही है। बड़े पैमाने पर ये बचत, ऋण तथा बीमा के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, विपणन जैसी सेवाएं भी देने की तरफ अग्रसर हैं। ये गठजोड़ भी बगैर सरकारी हस्तक्षेप के विकसित हुए हैं और ये कारगर साबित हुए हैं। दोनों ही मॉडलों में चुनौती लेनदेन की लागत कम करने की है ताकि लागत समेटते हुए सेवाएं सुगम बनाई जा सकें तथा उसके द्वारा इनकी पहुंच तथा सक्षमता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

औपचारिक वित्तीय प्रणाली को व्यवसाय की एक बड़ी संभावना को स्वीकार करना होगा जो ऐसे लोगों की वित्तीय सेवाओं की अधूरी मांग से जुड़ी है जो आम तौर पर वित्तीय प्रणाली से अलग-अलग पड़े रहते हैं। वित्तीय समावेशन केंद्र में इस बात से आता है कि वित्तीय समावेशन में अनेक ऐसे बाहरी तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वित्तीय समावेशन से असंपृक्त लोगों, बैंकिंग प्रणाली तथा बड़े स्तर पर समाज को परस्पर लाभ पहुँचाया जा सकता है। बैंकों के लिए जरूरी है कि वे बाजार को समझें तथा ग्राहकों के लिए उपयुक्त उत्पादों को विकसित करें। उन्हें आँकड़ों के संग्रह विकसित करने की जरूरत है ताकि समुचित रेटिंग एवं प्राइसिंग (दर एवं कीमत) के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल विकसित किए जा सकें। वित्तीय समावेशन को विकास के लिए एक व्यवसाय मॉडल के रूप में देखा जाए और बैंकों को इसी के अनुरूप खुद को ढालने की आवश्यकता है। सड़कों, बिजली तथा दूर संचार के द्वारा गावों को जोड़ने में आगे की प्रगति से दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली की और अधिक पहुँच सुनिश्चत की जा सकती है तथा वित्तीय रूप से असंपृक्त आबादी के बड़े हिस्सों को सुरक्षित एवं सक्षम वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से लेनदेन में लगने वाले समय तथा लागत को कम करने के अलावा ऑन-लाइन की पहचान करने की व्यवस्था, प्राधिकरण, निगरानी, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए स्वचालित सुरक्षा व्यवस्थाएं निर्मित करना सहज हो जाता है और इसके फलस्वरूप बैंक कम से कम जोखिम पर बहुत अधिक संख्या में व्यवसाय कर सकते हैं। राज्य सरकारों के लिए इस प्रकार गांव-गांव का संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक होगा तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के लिए क्षमता निर्माण को भी सुगम बनाने की जरूरत है।

चलिए अब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कुछ हाल की पहल कदमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

i) एक सक्रिय उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में चिंताओं की पहचान करते हुए बैंकों से आग्रह किया था कि वे अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करें जो आबादी के एक बड़े हिस्से को बैंकिंग के प्रति आकर्षित करने के बजाय उसे बैंकिंग से दूर करने की और प्रवृत्त हैं, ताकि उन प्रथाओं को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ जोड़ा जा सके। नीति की मध्यावधि समीक्षा (वर्ष 2005-06) में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े स्तर पर वित्तीय समावेशन हासिल करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों से जोर देकर कहा है कि वे एक बुनियादी बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएं जिसमें शून्य अथवा अत्यंत कम बकाया के साथ-साथ प्रभार भी बहुत कम हो जिसके कारण इस प्रकार के खाते आबादी के बड़े हिस्सों के लिए सुलभ होंगे। इस प्रकार के खातों में लेनदेनों का प्रकार एवं उनकी संख्या सीमित होगी और इस बारे में पारदर्शी तरीके से ग्राहकों को अग्रिम तौर पर अवगत कराया जाएगा। सभी बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रकार के 'नो फ्रिल्स' खाते की सुविधा का व्यापक प्रचार करें। अब तक कई बैंकों ने इस प्रकार की 'नो फ्रिल्स' खाता सुविधा की योजना शुरु कर दी है।

ii) इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कम आय समूह के व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक झंझटों के कारण बैंक खाते खोलने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, खाते खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) संबंधी प्रक्रिया को उन व्यक्तियों के लिए सरल बना दिया गया है जिनके बकाया शेष पचास हजार रुपए (रु.50,000/-) से अधिक तथा एक वर्ष में उन खातों में ऋण एक लाख रुपए (रु.1,00,000) से अधिक न हों।

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को विशेष रूप से सूचित किया गया है कि वे कोई संपार्श्विक अथवा किसी प्रयोजन से लिंकेज के बगैर 'नो फ्रिल्स' खातों में ओवरड्राफ्ट की सीमित सुविधाओं की अनुमति दें। इसके पीछे का विचार यह है कि इस प्रकार की ओवरड्राफ्ट सुविधा से खाता धारक को निधि का एक सुलभ स्रोत प्राप्त हो सके जिससे खाताधारक इस प्रकार के खाते खोलने के लिए प्रेरित हों। बैंक की दृष्टि से एक 'नो फ्रिल्स' खाते का प्रस्ताव एक स्थायी संबंध की शुरुआत को प्रकट करता है जो एक-दूसरे के लिए लाभप्रद होगा। इसमें शामिल संख्याओं को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंकों की नज़र प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों तथा कम लागत वाली व्यवस्थाओं पर होनी चाहिए जिससे इस प्रकार की सेवाओं के लेनदेन की लागत में कमी आएगी और साथ ही इस प्रकार के मॉडल को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक लेनदेनों की मात्रा भी हासिल होगी।

iv) 25,000 रुपए से कम के मूलधन वाले सभी उधारकर्ताओं के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे एक बारगी समझौता योजना का प्रस्ताव दें। चूँकि बैंकों के पास बड़ी संख्या में इस प्रकार के बहुत छोटे एनपीए हैं इसलिए इस प्रकार के एक बारगी समझौतों से उम्मीद है कि औपचारिक प्रणाली के साथ उधारी रिश्ते कायम होंगे और जिससे अनौपचारिक प्रणाली की तरफ वापस लौटने की आवश्यकता समाप्त होगी। तथापि बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं पर इस योजना का व्यापक प्रचार करें।

जिस मामले में ऋण सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए हैं वहां राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) से अपेक्षा है कि वह एक समुचित नीति बनाए।

v) शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट कार्डों के जरिए घरों की अपनी ऋण संबंधी जरूरतें बैंकिंग प्रणाली से पूरी हो जाती हैं जिससे वे न केवल क्रेडिट पर खरीद कर सकते हैं बल्कि क्रेडिट कार्ड से नकदी भी आहरित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री केंद्र या दुकानें नहीं होती हैं जहां प्लास्टिक कार्डों का प्रयोग किया जा सके। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं पर सामान्य प्रयोजन की क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा प्रदान करें। इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधा चक्रीय ऋण के प्रकार की होगी। जीसीसी धारक बैंक की निर्दिष्ट शाखा से स्वीकृत सीमा तक नकदी आहरण करने के लिए अधिकृत होगा। बैंकों में किसी घर की आय तथा नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर सीमा निर्धारित करने की लोचनीयता होगी। तथापि, जीसीसी के तहत किसी व्यक्ति की कुल ऋण सुविधा 25,000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सुविधा के लिए जो उचित और तर्कसंगत लगे उस दर से ब्याज लिया जाए। उधारकर्ता जीसीसी के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं का अपनी आवश्यकता के अनुसार एवं जमानत अथवा ऋण के प्रयोजन या अंत्य-उपयोग के लिए किसी आग्रह के बगैर लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। जीसीसी के अंतर्गत 25,000/- रुपए तक बकाया ऋण का पचास प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी मानदंडों की परिधि में आनेवाले अप्रत्यक्ष कृषि वित्त के रूप में माना जाएगा। इसके लिए पात्रता मानदंड समीक्षाधीन होगा। यह आवश्यक नहीं है कि जीसीसी को खरीद के साथ जोड़ा जाना चाहिए तथा जीसीसी आवश्यक रूप से एक कार्ड के रूप में हो। यदि जीसीसी धारक बैंक की शाखाओं से नकदी आहरण करने का इच्छुक हो तो जीसीसी को एक पास बुक के रूप में जारी किया जा सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक ग्रामीण ग्राहकों के बीच इस उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए खुद अपनी योजनाएं लेकर सामने आएंगे।

vi) फिलहाल विचाराधीन सूक्ष्म वित्त पर आरबीआई द्वारा गठित आंतरिक समूह (खान समिति) द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण सिफारिश बैंकों को यह अनुमति देना है कि वे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का इस्तेमाल व्यवसाय फेसिलिटेटर के रूप में करें ताकि इसी के साथ बैंक बाहर अपनी पहुंच बढ़ा सकें तथा बढ़ता हुआ वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर सकें। यह सिफारिश जो सूक्ष्म - वित्तीय सेवाओं को ग्राहक की दहलीज तक ले जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीबों तथा वंचितों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस परिवर्तन कर सकता है।

बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे हाल ही के इन उपायों को समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के एक अवसर के रूप में देखें तथा तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। जीसीसी या 'नो फ्रिल्स' खातों में ओवरड्राफ्टों के मामले में त्वरित भुगतान हेतु उत्प्रेरकों का निर्माण करते समय ब्याज दरें समुचित रूप से निर्धारित की जा सकती हैं।

वित्तीय समावेशन के अनेक फायदे हैं। खाते के रूप में एक संबंध कायम होने से एक ऐसे ग्राहक की तरफ एक रास्ता खुल सकता है जो उपभोग, आजीविका तथा गृह निर्माण के लिए अनेक प्रकार के बचत उत्पादों, ऋण उत्पादों का लाभ उठा सकता है। इस खाते का प्रयोग कम लागत पर छोटे मूल्य का विप्रेषण करने तथा ऋण पर खरीद करने के लिए किया जा सकता है । उसी बैंकिंग खाते का इस्तेमाल राज्य सरकारों द्वारा अलाभान्वित वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं आपदा बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रायः यह महसूस किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा कुछ अंशदान किया जाना चाहिए ताकि उसका कुछ हिस्सा रहे। तथापि इसमें प्रतिरोधक तत्व यह है कि प्रीमियम की वसूली की लागत स्वयं प्रीमियम से अधिक हो सकती है। तथापि यदि प्रीमियम की वसूली किसी नो फ्रिल्स खाते के माध्यम से की जाती है तो लागत व्यावहारिक रूप से शून्य होगी। बैंक के दृष्टिकोण से इस प्रकार का सामाजिक सुरक्षा कवर इस प्रकार के व्यक्तियों के वित्तपोषण को कम जोखिम वाला बनाता है तथा इस प्रकार उसे ऋण घटक से कवर किया जा सकता है। कमतर जोखिम का अर्थ बेहतर दरों पर और निधियों का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक संपूर्ण लेखा परीक्षा का अनुपालन तथा पारदर्शिता है। प्रकारांतर से किसी बैंकिंग खाते के एकल गेटवे का प्रयोग अनेक प्रयोजनों से किया जा सकता है तथा यह एक बल्ले-बल्ले स्थिति का द्योतक है। देश के 200 जिलों में चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजना वित्तीय समावेशन को उसके समग्र अर्थ में बढ़ावा देने का एक और अवसर है जिससे भारी संख्या में लोगों का उनके बचत खातों के जरिए बैंकिंग प्रणाली में पदार्पण होगा।

मैं अब राज्य सरकारों की भूमिका पर विचार केंद्रित करना चाहूँगी। हालांकि करों तथा प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से राजस्व उभारने का कोई विकल्प नहीं है जिससे भौतिक एवं सामाजिक पूंजी में विशाल निवेश करने का संसाधन आधार बनाया जा सके फ़िर भी, मौजूदा परिदृश्य में भी कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित होकर ध्यान देना संभव है।

- प्रथमतः ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनके लिए केंद्रीय सहायता राज्यों द्वारा उतनी ही सहायता प्रदान कर पाने में असमर्थता के कारण प्राप्त नहीं होती तथा इस प्रकार के आबंटन प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या लाभार्थी के योगदान (किसी बैंक के ऋण से समर्थित) को राज्य के योगदान के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि केंद्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए आवश्यक राशि हासिल की जा सके। बैंक उधारकर्ता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए ऐसे समुदाय आधारित संगठनों के साथ तालमेल बनाए रखें जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा हो।

- दूसरे, राज्य गारंटियों के प्रावधान पर अवलंबित हो सकते हैं। हाल ही का एक उदाहरण है जिसमें राज्य आवास बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए आवास योजनाओं हेतु एक बैंक से साझेदारी की है जहां आवास बोर्ड ऋण राशि के 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रथम हानि गारंटी प्रदान करता है। आवास बोर्ड लाभार्थियों की पहचान करता है और वसूली में सहायता करता है। हकदारी ऋण की चुकौती के बाद ही दी जाती है। आवास ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाता है जिसका प्रीमियम पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके साथ आपदा या दुर्घटना कवर भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था, इस प्रकार का बीमा ऋण आस्ति के जोखिम को कम करता है जिससे निधियों का प्रवाह और बढ़ सकता है तथा कीमतें बेहतर हो सकती हैं।
- तीसरे, शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की कीमतों को बेहतर करने की अच्छी-खासी गुंजाइश है । यह आमफहम बात है कि गरीब की जिंदगी पानी, बिजली, सफाई जैसे विभिन्न सार्वजनिक वस्तुओं पर भुगतान करते-करते गुजर जाती है। न्यूनतम कमियों सहित सेवाओं का दक्ष प्रावधान तथा उनकी तुलनात्मक कीमतें तय करना एक गंभीर मुद्दा है। ऐसी योजनाओं का निर्माण जिनमें एक व्यावहारिक मूल्य नीति हो, वित्तीय प्रणाली को ऐसी भूमिका देती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की आधारभूत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) तथा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाने की दिशा में योजना आयोग की पहल वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है जिससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति के साथ सभी प्रमुख पणधारियों के प्रयासों की आपसदारी एवं मिलाप से ऊर्जा पैदा होगी।

मुझे लगता है कि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा मानव विकास पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य, आजीविका, सरकार एवं सामूहिक कार्य जैसे विभिन्न पहलुओं पर की गई प्रस्तुतियों से आपके समय का सदुपयोग हुआ है तथा साथ ही अंत में एक रोचक क्विज में हिस्सा लेने का अनुभव सुखद लगा है । मैं आपके लिए एक लाभदायी सप्ताह की कामना करती हूँ।